प्रेस विज्ञप्ति

01.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष निर्मल कोटेचा, पवन कुचाना और किशोर तापड़िया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07/12/2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.02.2024 को उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 (ए) आर/डब्ल्यू 24 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मैसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड, उसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य के विरुद्ध आईपीओ के संबंध में अनियमितताओं, जिसके माध्यम से मैसर्स तकशील ने 80.50 करोड़ रुपये जुटाए, के लिए दायर शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि पवन कुचना, निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया ने मैसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के राजस्व को बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति बनाई ताकि, वे आईपीओ जारी कर सकें तथा बाद में आईपीओ से अर्जित आय को डायवर्ट और उसकी हेराफेरी कर सकें। निर्मल कोटेचा ने मैसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के लिए इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट (आईसीडी) की व्यवस्था की ताकि आईपीओ जारी करना सुगम हो सके। उक्त धनराशि पवन कुचना से संबंधित अमेरिका स्थित संस्थाओं के माध्यम से परिचालित गई थी, और फिर आईपीओ जारी होने से पहले मैसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ सर्कुलर लेनदेन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई और लाभप्रदता में वृद्धि हुई। आईपीओ जारी होने के बाद, आईसीडी का भुगतान आईपीओ की आय से किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में आगे पता चला है कि, आईपीओ से जुटाई गई 34.50 करोड़ रुपए की राशि को सेवाओं की आपूर्ति भुगतान की आड़ में पवन कुचाना की यूएसए स्थित संस्थाओं को भेजा गया तथा उसकी हेराफेरी की गई। इन यूएसए अवस्थित संस्थाओं के माध्यम से, बड़ी मात्रा में धनराशि सिंगापुर/हांगकांग में अवस्थित निर्मल कोटेचा के नियंत्रणाधीन संस्थाओं को हस्तांतरित की गई। आईपीओ की आय में से, 23 करोड़ रुपए की अन्य राशि सॉफ्टवेयर उत्पादों की खरीद की आड़ में भारतीय संस्थाओं को हस्तांतरित की गई और अंततः हांगकांग और दुबई में स्थित निर्मल कोटेचा की संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई। मैसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड से अपराध की आय के 18 करोड़ रुपए की राशि आईपीओ से संबंधित खर्चों, विक्रेताओं को भुगतान, एसटीपीआई विकास खर्च, वेतन आदि की आड़ में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित की गईं।

प्रवर्तन निदेशालय ने पहले तीनों आरोपियों नामतः निर्मल कोटेचा, पवन कुमार कुचाना और किशोर तापड़िया को गिरफ्तार किया था और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों के नाम की 12.11 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त की थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

******